

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 57/2022(2022/216)

- 1 भरतसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह
- 2 छगन कवर पत्नी श्री माधोसिंह
- 3 प्रह्लाद सिंह पुत्र श्री माधोसिंह
- 4 रेखा कवर पुत्री श्री माधोसिंह
- 5 राजलक्ष्मी पुत्री श्री माधोसिंह समस्त जाति चारण निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♦ बनाम ♦

- 1 अनुराधा पुत्री श्री अमरसिंह
- 2 कलाकवर पुत्री श्री हिंगलाजदान
- 3 बाण्डदान पुत्र श्री दुर्गादान
- 4 जनक पुत्री श्री अमरसिंह
- 5 दिनेश सिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह
- 6 नासयण सिंह पुत्र श्री हिंगलाजदान सिंह
- 7 निर्मला कवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
- 8 भवर कवर पत्नी श्री अमरसिंह
- 9 मगन पुत्री श्री अमरसिंह
- 10 मैना कवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
- 11 मुरलीसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह
- 12 योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह
- 13 विजयलक्ष्मी पुत्री श्री रघुवीरसिंह
- 14 शकुन्तला पुत्री श्री अमरसिंह
- 15 सुमित्रा कवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
- 16 सानिया पुत्री श्री माधोसिंह
- 17 हिना पुत्री श्री अमरसिंह समस्त जाति चारण निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
- 18 श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री शैलेन्द्र सिंह

पैसाकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 26.7.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि ग्राम राजपुरा तहसील सावर की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 60-56 के खसरा संख्या 793, रकबा 0.34हेक्टर किरम बीड का निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 12.7.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार सावर ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	1.भरत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह हि. 5/9 रहन बी.ओ.बी सावर 2.छगन कवर पत्नी माधो सिंह हिस्सा 1/9 3.प्रह्लाद सिंह पुत्र माधो सिंह हिस्सा 1/9 4.रेखाकवर पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 5.राजलक्ष्मी पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 तमाम जाति चारण सा.	793/1	0.0765	बीड



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

	देह खातेदार	किता 1	रकबा 0.0765	बीड
2	1.अनुराधा पुत्री अमरसिंह हि. 5/186 2.कलाकंवर पुत्री हिंगलाजदान हि. 5/62 3.चावण्डदान पुत्र दुर्गादान हि. 15/31 4.जनक पुत्री अमर सिंह हि. 5/186 5.दिनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हि. 4/279 6.नारायण सिंह पुत्र हिंगलाजदान हि. 5/62 7.निर्मलाकंवर पुत्री मनोहर सिंह हि. 1/31 8.भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह हि. 5/186 9.मगन पुत्री अमर सिंह हि. 5/86 10.मैनाकंवर पुत्री मनोहर सिंह हि. 1/31 11.मुरलीसिंह पुत्री मनोहर सिंह हि. 4/93 12.योगेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि. 4/279 13.विजयलक्ष्मी पुत्री रघुवीरसिंह हि. 4/279 14.शकुन्तला पुत्री अमर सिंह हि. 5/186 15.सुमित्रा कंवर पुत्री मनोहरसिंह हि. 1/93 16.सोनिया पुत्री माधोसिंह हि. 1/31 17.हिना पुत्री अमरसिंह हि. 5/186 तमाग जाति चारण सा.देह खातेदार	793/2	0.2635	बीड
		किता 1	रकबा 0.26350	बीड

तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादी का हिस्सा लाल रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार सावर द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार सावर द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की वहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	1.भरत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह हि. 5/9 रहन वी.ओ.वी सावर 2.छगन कंवर पत्नी माधो सिंह हिस्सा 1/9 3.प्रहलाद सिंह पुत्र माधो सिंह हिस्सा 1/9 4.रेखाकंवर पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 5.राजलक्ष्मी पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 तमाग जाति चारण सा. देह खातेदार	793/1	0.0765	बीड
		किता 1	रकबा 0.0765	बीड
2	1.अनुराधा पुत्री अमरसिंह हि. 5/186 2.कलाकंवर पुत्री हिंगलाजदान हि. 5/62 3.चावण्डदान पुत्र दुर्गादान हि. 15/31 4.जनक पुत्री अमर सिंह हि. 5/186 5.दिनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हि. 4/279 6.नारायण सिंह पुत्र हिंगलाजदान हि. 5/62 7.निर्मलाकंवर पुत्री मनोहर सिंह हि. 1/31 8.भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह हि. 5/186	793/2	0.2635	बीड




(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

9 मगन पुत्री अमर सिंह हि 5/86			
10 मैनाकवर पुत्री मनोहर सिंह हि 1/31			
11 मुरलीसिंह पुत्री मनोहर सिंह हि 4/93			
12 योगेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि 4/279			
13 विजयलक्ष्मी पुत्री रघुवीरसिंह हि 4/279			
14 शकुन्ताला पुत्री अमर सिंह हि 5/186			
15 सुमित्रा कवर पुत्री मनोहरसिंह हि 1/93			
16 सोनिया पुत्री माधोसिंह हि 1/31			
17 हिना पुत्री अमरसिंह हि 5/186 तमाम जाति चारण सादेह खातेदार			
	किता 1	रकबा 0.26350	बीड

तहसीलदार सावर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्ली पत्र जारी हो। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (विकास अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी
 कंकड़ी (अजमेर)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. गरतसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह
2. छगन कंवर पत्नी श्री माधोसिंह
3. प्रहलाद सिंह पुत्र श्री माधोसिंह
4. रेखा कंवर पुत्री श्री माधोसिंह
5. राजलक्ष्मी पुत्री श्री माधोसिंह समस्त जाति चारण निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---पार्थी

♣ वनाम ♣

1. अनुराधा पुत्री श्री अमरसिंह
2. कलाकंवर पुत्री श्री हिंगलाजदान
3. वाण्डदान पुत्र श्री दुर्गादान
4. जनक पुत्री श्री अमरसिंह
5. दिनेश सिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह
6. नारायण सिंह पुत्र श्री हिंगलाजदान सिंह
7. निर्मला कंवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
8. भवर कंवर पत्नी श्री अमरसिंह
9. मयन पुत्री श्री अमरसिंह
10. मैना कंवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
11. मुरलीसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह
12. योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह
13. विजयलक्ष्मी पुत्री श्री रघुवीरसिंह
14. शकुन्तला पुत्री श्री अमरसिंह
15. सुमित्रा कंवर पुत्री श्री मनोहरसिंह
16. सोनिया पुत्री श्री माधोसिंह
17. हिना पुत्री श्री अमरसिंह समस्त जाति चारण निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
18. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 57/2022 (2022/216)
निर्णय दिनांक:- 26.7.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री शैलेन्द्र सिंह वकील वादी पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार सावर हाजिर मुददादत्ताह पत्र कर हुजम दिया जाता है वाद पत्र- अंतर्गत धारा 53,188,209 राज काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमादी के खाता संख्या नया-पुराना 60-56 के खसरा संख्या 793 के रकबा 0.34 हेक्टर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.7.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार सावर द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	1 गरत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह हि 5/9 रहन बी.ओ.बी सावर 2 छगन कंवर पत्नी माधो सिंह हिस्सा 1/9 3 प्रहलाद सिंह पुत्र माधो सिंह हिस्सा 1/9 4 रेखाकंवर पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 5 राजलक्ष्मी पुत्री माधोसिंह हिस्सा 1/9 तमाम जाति चारण	793/1	0.0765	बीड



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

क्र.	सा.देह खातेदार	किता 1	रकबा 0.0765	बीड
2	1.अनुराधा पुत्री अमरसिंह हि. 5/186 2.कलाकंवर पुत्री हिंगलाजदान हि. 5/62 3.चावण्डदान पुत्र दुर्गादान हि. 15/31 4.जनक पुत्री अमर सिंह हि. 5/186 5.दिनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हि. 4/279 6.नारायण सिंह पुत्र हिंगलाजदान हि. 5/62 7.निर्मलाकंवर पुत्री मनोहर सिंह हि. 1/31 8.भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह हि. 5/186 9.मगन पुत्री अमर सिंह हि. 5/86 10.मैनाकंवर पुत्री मनोहर सिंह हि. 1/31 11.मुरलीसिंह पुत्री मनोहर सिंह हि. 4/93 12.योगेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीरसिंह हि. 4/279 13.विजयलक्ष्मी पुत्री रघुवीरसिंह हि. 4/279 14.शकुन्तला पुत्री अमर सिंह हि. 5/186 15.सुमित्रा कंवर पुत्री मनोहरसिंह हि. 1/93 16.सोनेया पुत्री माधोसिंह हि. 1/31 17.हिना पुत्री अमरसिंह हि. 5/186 तमाम जाति चारण सा.देह खातेदार	793/2	0.2635	बीड
		किता 1	रकबा 0.26350	बीड

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड जमावदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करें। इस आशय का डिकरी पचा जा रही किया जाता है खर्चा फरिफेन अपना अपना पहन करे।

चीज मुवलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाकी तक.....
 को अदा करे

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.7.2022 को जारी की गई।



(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 केकड़ी (अजमेर)

मुदयलाह	रूपया	पेसा	मुदयलाह	पेसा
स्टाम्प अजो दावा	0	0	स्टाम्प अजो दावा	0
स्टाम्प वजहतनामा			स्टाम्प वजहतनामा	0
स्टाम्प वजहत सवुत			स्टाम्प वजहत सवुत	
महानताना कर्कील			महानताना कर्कील	
खर्चा मवाहान			खर्चा मवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा	
मुतफरिफ			मुतफरिफ	
मीजान	0	0	मीजान	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।